न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 149/2023-24

मो0 अफजल अंसारी -बनाम- रामचन्द्र तुरी वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

06.07.2024

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163(दं.प्र.सं. की धारा 144) के तहत आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163(दं.प्र.सं. की धारा 144) के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
खाखीखुर्द	0125	01	643	4 एकड़

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादगत भूमि के संबंध में उभय पक्ष के द्वारा अपना-अपना कारणपृच्छा एवं दावे के समर्थन में राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेखबद्ध किया गया है।

वादगत भूमि के संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ संलग्न दस्तावेज तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं अपने दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना गया।

इस वाद में अंकित वादगत भूमि के संदर्भ में विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि मौजा: खाखीखुर्द, थाना नं. 125, खाता नं. 01, प्लॉट नं. 643, सर्वे रकवा: 189.95 ए. भूमि के मध्ये 4.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है जो किस्म जंगल दर्ज है। उक्त भूमि प्रथम पक्ष(आवेदक) को दस्तावेज सं. 2064 दिनांक 23.02.77 द्वारा प्राप्त है। द्वितीय पक्ष को वर्णित भूमि बन्दोबस्ती द्वारा प्राप्त है। प्रथम पक्ष इस भूमि पर दखलकार है एवं द्वितीय पक्ष दखलकार नही है।

---- विवेचना एवं आदेश ----

इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति तथा विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने एवं उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को ऐसा प्रतीत होता है कि वादगत भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास भूमि किस्म जंगल दर्ज है। इस भूमि के संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया

जा रहा है। भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास किस्म जंगल होने के कारण अधोहस्ताक्षरी इस संबंध में कोई भी विधिक आदेश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार नही है। अंचल अधिकारी, डुमरी द्वारा समर्पित स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष भूमि पर दखलकार है जबकि द्वितीय पक्ष भूमि पर दखलकार नही है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह मामला उभय पक्षों के बीच स्वत्व(Title) से संबंधित है। जिसका निष्पादन करना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163(दं.प्र.सं. की धारा 144) के उपधारा 4 के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित

06/07/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

06/07/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.08.03 17:56:06 +05:30
Location: 192.168.1.3